20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 — 5 रु. भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES Rs.5 — 5 रु. भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES Rs.5

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर ~~केम्प सागर~~

श्यामलाल तनय रम्मा कुशवाहा ,

निवासी ग्राम नचनवारा तह0 व जिला टीकमगढ़ ,

................आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन .... प्रतिनिगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है:–

1 यह कि आवेदक यह निगरानी अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर द्वारा प्र0 क0 1019/बी–121/2007–08 में पारित आलोच्य आदेश दिनॉक 13/12/2013 से परिवेदित होकर कर रहा है, जो समय सीमा में न होन से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र मय शपथपत्र के संलग्न है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नचनवारा तहसील एवं जिला टीकमगढ़ में आवेदक के नाम से तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा अपने प्र0 क0 28/अ–63/84–85 में पारित आ0 दि0. 25/09/1985 के द्वारा आवेदक के नाम से खसरा नं0 962, 969 में रकवा 0.121 एवं 0.174 है0 भूमि का ब्यवस्थापन किया गया था। आवेदक उपरोक्त भूमि पर काफी लंबे समय से काबिज चला आ रहा हैं। जिसके बिरूद्व अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा एक प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया कि जिस प्र0 क0 के द्वारा उपरोक्त ब्यवस्थापन किया गया है, वह अभिलेख पंजी पर दर्ज नहीं है। जिसके आधार पर कलेक्टर महोदय द्वारा प्रकरण स्व0 निगरानी में लेकर आवेदक को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया। जिसका जबाब आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसे नजर अंदाज करके आवेदक को उपरोक्त प्र0 क0 पर किया गया ब्यवस्थापन कलेक्टर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

अ0प्र0 प्रकरण क्रमांक 864/II/2016 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश श्यामलाल कुश्वाहा वनाम म0 प्र0 शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	(1)	
17-3-16	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क0 1019/बी121/07/08 में पारित आदेश दिनांक आदेश दिनांक 13/12/2013 के विरूद्व प्रस्तुत की है। निगरानी के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया, सूची अनुसार दस्तावेज पेश किये। आवेदक के अधिवक्ता के ग्राहयता पर तर्क श्रवण किये गये। बिलंब का कारण समाधानप्रद होने से बिलंब माफ कर निगरानी समय सीमा में मान्य की गई। 2– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया कि ग्राम नचनवारा स्थित वाद भूमि का ब्यवस्थापन प्र0क0 28/अ–63/84–85 आदेश दिनांक 25/09/1985 के द्वारा किया था। तभी उसका खसरा पर नाम दर्ज हो गया था, जो अनवरत दर्ज चला आ रहा है। आवेदक द्वारा भूमि का बिक्रय नहीं किया है उसे काफी श्रम एवं लागत लगाकर कृषि योग्य बना लिया गया है। बंटन के करीब 25 साल बाद कलेक्टर महोदय द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर नामांतरण निरस्त कर दिया। मैंने प्रकरण के अवलोकन से पाया कि वाद भूमि पर आवेदक का नाम 1985 से लगातार खसरा में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है, कलेक्टर द्वारा आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर आदेश पारित किया है। बंटन	

होने एवं नाम दर्ज होने के 25 साल बाद वाद भूमि के संबंध में प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर कार्यवाही करना अति बिलंब से की गई कार्यवाही हैं, जबकि आवेदकगण लगातार वाद भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं, लगान दे रहे हैं। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि नामांतरण की जानकारी न हो। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर डीवी ने 2011 रानि 273 कमला सिंह वनाम शासन में ब्यवस्था दी है कि, स्वमेव निगरानी में प्रकरण लेने की अधिकतम अवधि 180 दिन पर्याप्त है। इसके अलावा अन्य अनेक न्याय दृष्टांतों में भी ब्यवस्था प्रदान की गई है।

अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्कों एवं दस्तावेजों के आधार पर यह निगरानी स्वीकार कर कलेक्टर टीकमगढ़ का प्र0 क0 20/स्व0निग/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 11/03/2008 एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13/12/2013 निरस्त किये जाते हैं, तथा आदेशित किया जाता है कि इस प्रकरण की वादभूमि खसरा नंबर 962, , 969 रकवा क्रमशः 0.121 , 0.174 हैक्टर पर पूर्ववत आवेदक का नाम भूमि स्वामी के रूप में कम्प्यूटर अभिलेख में दर्ज करें। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दा0 द0 हो।

सदस्य